

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास - श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० :- 11/2020

दायर दिनांक :- 06.01.2020

अनवान

श्रीमति नन्द कंवर पत्नि भोपाल सिंह राजपूत नि. दानपुरा तह. जहाजपुर
प्रार्थी.....

बनाम

1. श्री शिवराज सिंह पिता सज्जन सिंह राजपूत नि. दानपुरा तह. जहाजपुर
2. श्री बलवीर सिंह पिता भगत सिंह राजपूत नि. दानपुरा तह. जहाजपुर
3. श्री हरदेव पिता गोकुल रेगर नि. दानपुरा तह. जहाजपुर
4. श्री कैलाश पिता ब्रदीलाल पुरोहित नि. उलेला तह. जहाजपुर
5. तहसीलदार जहाजपुर

अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान ले. रे. एक्ट ::

:: आदेश ::

दिनांक 17.03.2020

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम फतहपुर प० ह० गुढा तह० जहाजपुर में स्थित कृषि आ० सं० 607/3 रकबा 1.13 बीघा भूमि स्थित है। जिसमें स्थायी सीमा की जानकारी नहीं होने से सीमाओं को लेकर विवाद है। जिसे स्थायी सीमा चिन्ह लगाने की मांग की।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की तार्ईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 व विवाद बाबत शपथ पत्र पेश किया गया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम फतहपुर प० ह० गुढा तह० जहाजपुर में स्थित कृषि आ० सं० 607/3 रकबा 1.13 बीघा भूमि की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक पीपलुन्द का कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रु. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 17.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

